न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मसूदा जिला–अजमेर
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2018
श्रीमति प्रेमलता पत्नि श्री दुलीचन्द जी बाफना जाति जैन निवासीया
बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

------प्रार्थीया

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर जिला–अजमेर (राज0)
2– अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर जिला–अजमेर

------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थन काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्तः प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा इन्द्रगढ पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर में जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या 62 खसरा नंबर 588 रकबा 02–19–00, 589 रकबा 01–18–00, 589/709 रकबा 00–15–00, 592 रकबा 02–08–00, 593 रकबा 03–15–10, 614 रकबा 04–11–00, 615 रकबा 02–05–00, कुल रकबा 18–11–10 एंव खाता संख्या 63 खसरा नंबर 608 रकबा 01–04–00, 609 रकबा 06–01–00, 610 रकबा 00–11–00, 612 रकबा 08–00–10, 613 रकबा 07–01–10 कुल रकबा 22–18–00 एंव मौजा बिजयनगर पटवार हल्का बिजयनगर खाता संख्या 71 खसरा नंबर 31 रकबा 00–01–00, 32 रकबा 00–02–00, 33 रकबा 00–14–00 कुल रकबा 00–17–10 उपरोक्त भूमियां आपस में सटी हुई है, उपरोक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की भूमियां है जिसमें अरसादराज से आने जाने हेतु मुख्य सडक भीलवाडा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 से लगते हुये पूर्वी दिशा की और रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया में जाने वाली सडक जो वाके ग्राम व पटवार हल्का विजयनगर में स्थित खसरा नंबर 37 से होकर जाती है, उक्त सडक व खसरा नंबर 37 से होकर खसरा नंबर 37 के उत्तरी और स्थित गैर मु0नाला खसरा नंबर 30 से होकर 30 फीट रास्ता स्थित है, तथा इसी रास्ते से प्रार्थीया अपनी कृषि भूमियों में फसल काश्त करने फसल लाने ले जाने हेतू ट्रेक्टर, बेलगाडी व अन्य संसाधनो का उपयोग करती है, किन्तु उक्त नाले में अधिकांश समय पानी भरा रहता है, तथा नाला प्रार्थीया की भूमियों की सतह एंव मुख्य सडक की सतह से काफी गहरा होने एंव उक्त नाले पर पुलिया निर्मित ना होने के कारण प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में आने जाने फसल काश्त करने तथा कृषि उपज लाने ले जाने में काफी कठीनाई का सामना करना पडता है, तथा आये दिन घटना/दुर्घटना घटित होती रहती है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमियों में आने जाने काश्त करने एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये उक्त खसरा नंबर 30 में से खसरा नंबर 31, 32, 33 की दक्षिणी सीमा तक अपने खर्चे से पुलिया बनाकर आमद रफत का रास्ता बनाना चाहती है, किन्तु अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख जमाबदी मानचित्र में रास्ता अंकित नही होने के कारण आये दिन बाधा उत्पन्न करते रहते है। उक्त 30 फिट रास्ता नियमानुसार शुल्क लेकर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने एंव गै0मु0नाला पर पुलिया निर्माण प्रार्थीया के खर्चे से करने देने की अनुमति आदेश प्रदान करावे। गै0मु0नाले पर पुलिया नही बने होने के कारण से प्रार्थीया को अपने खेतो पर जाने के लिये काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया

.....लगातार

अपने खेतो पर आने जाने के लिये रास्ते को दिनांक 16.4.2018 को सही करवाना चाहा तो अप्रार्थीगण के अधिनस्थ हल्का पटवारी जमादार आदि ने मौके पर आकर मना कर दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीया अपने रास्ते की भूमि बाबत नियमानुसार सरकारी दर से देय राशि माननीय न्यायालय के आदेशनुसार जमा कराने के लिये तैयार एंव तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की भूमियो में आने जाने के लिये खसरा नंबर 30 के दक्षिणी हिस्सा में स्थित है से होकर खसरा नंबर 30 गै0मु0नाला से होते हुये 30 फिट चौडा रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करने हेतू अप्रार्थीगण को पाबंद करने एंव उक्त रास्ते का राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस/मानचित्र जमाबंदी में अंकन करने हेतू आदेशित करने की कृपा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पत्र कमांक/ न.पा.बि. /भूमि / 2018/1150 दिनांक 8.8.2018 पेश कर कथन किया है, कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों में प्रस्तावित भूमि में से रास्ते के लिये उपयोग में ली जाने के लिये यदि भूमि किमतन दी जाती है तो नगरपालिका बिजयनगर को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर कथन किया है, कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि है आने जाने के रास्ते के बीच में खसरा नंबर 30 गै.मु.नाला पडता है, प्रार्थीया खातेदार इस पर पूल बनाकर रास्ता बनाना चाहता है। जिसमें प्रार्थीया द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनो को स्वंय सिद्ध करने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 8.8.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये पेश किया है, कि प्रार्थीया की आराजियात में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। खसरा नंबर 37 में से रिको बिजयनगर में जाने वाली सडक से बिजयनगर खसरा नंबर 31, 32, 33 रिको सडक से 3, 10 फिट दूर है, खसरा नंबर 30 गै0मु0नाला के अन्दर से कच्ची सडक बनाकर उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में जाने हेतू मौजा बिजयनगर के खसरा नंबर 30 व 37 के अलावा अन्य कोई नजदीक व सुविधाजन मार्ग नही है। खातेदार केवल मौजा बिजयनगर खसरा नंबर 30 गै0मु0नाले पर पानी प्राकृति बहाव को नही रोकते हुये पुलिया बनाकर अपनी आराजी पर आने जाने का रास्ता बनाना चाहता है, जिससे केवल खसरा नंबर 30 ही प्रभावित होगा तथा खसरा नंबर 30 का 200X30 = 0.07 बिस्वा प्रभावित होगा। खसरा नंबर 30 के पडौसी खसरा नंबर सिंचित है, अतः खसरा नंबर 30 को भी सिंचित श्रेणी में रखना उचित होगा। रास्ते वाली वांछित भूमि मौजा बिजयनगर की है, नही की मौजा इन्द्रगढ सडक से दूरी 3, 10 फिट तथा इसकी डी0एल0सी0 दर 2281775 प्रति हैक्टेयर है, जिसकी 0.0566 हैक्टेयर बनता है, जिसकी राशि 1,29,148/— रूपये बनती है, नक्शा ट्रेस में मौजा इन्द्रगढ व मौजा बिजयनगर का संयुक्त नक्शा दर्शाते हुये प्रस्तावित पुलिया को लाल स्याही से रंगित करते हुये नक्शा ट्रेस संलग्न है, तथा प्रार्थीया खातेदार को रास्ता दिया जाना एंव पुलिया निर्माण की स्वीकृति दिया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थीया खातेदार को रास्ता दिये जाने एंव पुलिया निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण में प्रार्थीया की बहस सुनी गई प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

.....................लगातार

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये गये जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 62 एंव 63 की भूमियां प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 71 की भूमियां प्रार्थीया कीखातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में खसरा नंबर 30 नदिया तथा नाले (चारागाह हेतू) दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में खसरा नंबर 37 चारागाह दर्ज होना पाया गया। एंव प्रार्थीया की खातेदारी की भूमियां एंव खसरा नंबर 30 व 37 का राजस्व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जाना पाया गया। प्रार्थीया द्वारा छाया चित्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में रास्ता दिये जाने बाबत कोई आपत्ति नही होने का कथन किया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.8.2019 में प्रार्थीया की भूमियो में आने जाने हेतू खसरा नंबर 30 व 37 के अलावा अन्य कोई रास्ता सुविधाजनक मार्ग नही होने का कथन किया है। एंव प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना एंव पुलिया निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंषा की है।

उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार खसरा नंबर 30 जो कि नाला व नदिया एंव चारागाह दर्ज होना जमाबंदी में पाया गया है। ऐसी स्थिति में नाला व नदियो व चारागाह भूमि में रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय से निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमियो में आने जाने हेतु ग्राम इन्द्रगढ के खसरा नंबर 30 में नियमानुसार एंव विधिक प्रावधानो के अनुसार सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर पुलिया (पुल) का निर्माण के लिये स्वतंत्र है। खर्चा अपना अपना वहन करे।

अतः आदेश दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 14:00:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: